लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 02 / 2024
GCMS NO. : 2024 / 13

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री जिनेश शास्त्री पिता अशोक शास्त्री, निवासी जैन मौहल्ला, परतापुर, तहसील गढी, जिला बांसवाडा, हाल भू.अ.नि. रैयाना वृत तहसील अरथुना	बनाम	अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) (जिला निर्वाचन कार्यालय) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 22–04–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **03–01–2024** पर **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) (जिला निर्वाचन कार्यालय) बांसवाडा** द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **27–03–2024** को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

प्रत्यर्थी **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) (जिला निर्वाचन कार्यालय) बांसवाडा** ने दिनांक **22–04–2024** को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03–01–2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो आर.टी.आई की धारा 6(3) द्वारा उपखण्ड कार्यालय गढी को स्थानांतरित किया गया। उपखण्ड अधिकारी गढी के पत्रांक 5695 दिनांक 29–02–2024 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई गई है। आंशिक सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित होने से इस कार्यालय के पत्रांक 1437 दिनांक 19.04.2024 द्वारा सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) (जिला निर्वाचन कार्यालय) बांसवाडा** के जवाब एवं उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र एवं उसके संलग्नको, उपखण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा के पत्रांक 5695 दिनांक 29.02.2024, प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कार्यालय हाजा के पत्रांक 1750–52 दिनांक 04–04–2024 का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) (जिला निर्वाचन कार्यालय) बांसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **03–01–2024** से 5 बिन्दुओं पर सूचना चाही। अपिलार्थी को बिन्दु सं. 1, 3 से 5 तक की सूचना **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) (जिला निर्वाचन कार्यालय) बांसवाडा** के पत्रांक 1437 दिनांक 19.04.2024, उपखण्ड अधिकारी गढी

जिला बांसवाडा के पत्रांक 5695 दिनांक 29.02.2024, प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कार्यालय हाजा के पत्रांक 1750–52 दिनांक 04–04–2024 से उपलब्ध करवाई गई है।

अतः अपीलार्थी को उनके धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 03–01–2024 में वर्णित बिन्दु सं. 1, 3 से 5 सें वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई है। बिन्दु सं. 2 में अपीलार्थी द्वारा सूचना चाही गई कि "वि.सभा गढी के रुम 107 को सील किये जाने के संबंध में प्रेषित पत्र एवं राज्य निर्वाचन से प्राप्त समस्त पत्रो की प्रतियाँ व इस संबंध में तैयार कार्यालय टिप्पणीयों की प्रतियाँ।" इस बिन्दु पर चाही गई सूचना विस्तृत, अस्पष्ट एवं आदेश/विशिष्ठि (विवरण) रहित है। अपीलार्थी नियमानुसार अभिलेख के निरीक्षण के पश्चात् पत्रावली/ आदेश/ पत्र की विशिष्ठयॉ (विवरण) के साथ आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करे। स्पष्ट आवेदन प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है। निर्णय की प्रति सम्बन्धित को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक **22–04–2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)